फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध प्रकरण जीसीएमएस नंबर 2025/284 बउनवान बगताराम बनाम चुन्नीलाल वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
15/10/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। वकील अप्रार्थी द्वारा ग्राम धणी के खसरा नंबर 133 का सीमांकन करने हेतु निवेदन किया है। वकील अप्रार्थी इस हेतु पृथक से कार्यवाही करने हेतु स्वतंत्र है। प्रार्थी विवादित भूमि का रिकॉर्डेड खातेदार है और उक्त भूमि पर काबिज होकर काश्त करता आ रहा हैं। अप्रार्थीगण के खेत प्रार्थी की खातेदारी भूमि से लगते हुये होने से वे अतिक्रमण और कृषि कार्य में बाधा उत्पन्न करते रहते है। अतः प्रार्थी अपनी खातेदारी भूमि की नेखमबंदी करवाना चाहता है। ऐसी सूरत में विवादित भूमि की नेखमबंदी किये जाने में कोई आपत्ति प्रतीत नहीं होती है। लिहाजा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 132/1163 रकबा 3.07 हैक्टर के बाद पैमाईश पक्के नेखम स्थापित कर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को 1000/– रूपये शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। शुल्क प्रार्थी मौके पर अदा करेगा। आवश्यकता होने पर तहसीलदार बाली को संबंधित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है। तहसीलदार बाद पालना कर पालना प्रतिवेदन प्रेषित करें। तहरीर जारी हो। पालना रिपोर्ट प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली	

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

Scanned by CamScanner

राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली जिला पाली

दिनांक : 17-10-2025

क्रमांकः कोर्ट / 2024 / 1388

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थीगण
वगताराम पुत्र भूताराम जाति चौधरी निवासी धणी तहसील बाली		चुन्नीलाल पुत्र रूपारामजी जाति सीरवी निवासी धणी तहसील बाली वगैरा

किस्म मुकदमा राजस्व विविध GCMS NO. 2025 / 284
प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956
हेतु नेखम पैमाईश जरिये पत्थरगढी

–:: आदेश ::–

उपरोक्त अनवान प्रकरण में ग्राम धणी पटवार हल्का धणी तहसील बाली के खसरा नंबर 132 / 1163 रकबा 3.07 हैक्टर के बाद पैमाईश करके पक्के नेखम स्थापित करते हुए नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार बाली को कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। कमिश्नर शुल्क रूपये 1000 / –प्रार्थी अदा करेंगे।

उपरोक्तानुसार नेखमबंदी कर पालना रिपोर्ट उपलब्ध करावें। आवश्यकता होने पर उन्हें सम्बन्धित पुलिस थाना से पुलिस इमदाद प्राप्त करने हेतु अधिकृत किया जाता है।

न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी बाली, जिला-पाली (राज.)

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

क्रमांकः कोर्ट / 2024 / 1389-1392

दिनांक : 17-10-2025.

प्रतिलिपि : निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. तहसीलदार बाली
2. थानाधिकारी, पुलिस थाना फालना
3. हल्का पटवारी धणी को तहसीलदार बाली द्वारा निर्धारित की गई तिथि को मय रेकर्ड मौके पर उपस्थित रहकर नेखमबंदी कार्यवाही पूर्ण कराने हेतु।
4. श्री वगताराम पुत्र भूताराम जाति चौधरी निवासी धणी तहसील बाली को सूचनार्थ।

उपखण्ड अधिकारी
(SDO) बाली
सहायक कलेक्टर एवं पदेन
उपखण्ड अधिकारी, बाली

Scanned by CamScanner